5275
28-11-19

0862

अति महत्वपूर्ण / द्वारा फैक्स / ई–मेल

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश ।

टावर–1, चतुर्थ तल, सिग्नेचर बिल्डिंग, सेक्टर–7 गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ।

पत्र संख्या:दस–51–2013(562)

दिनाक: नवम्बर 27 . 2019

सेवा में,

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद, उत्तर प्रदेश।

विषयः– रिट याचिका संख्या–18442 / 2018 प्रमोद कुमार सिंह व 09 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि021.05.2019 आरक्षी एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती–2013 में चयनित पाये गये शेष अभ्यर्थियों के जे0टी0सी0में आगमन के उपरान्त उनके व्यवस्थित, अनुशासित एवं स्वस्थ्य अवस्थान के सम्बन्ध में।

कृपया उपर्युक्त विषय पर अवगत कराना है कि उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ के विज्ञप्ति संख्या:पीआरपीबी–अनु0–6–प–2 / 2015 दिनांक:20.08.2019 द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित सिविल रिट याचिका संख्या–18442 / 2018 प्रमोद कुमार सिंह व 09 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनॉकः 21.05.2019 के अनुपालन में आरक्षी एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती–2013 के अन्तर्गत सामान्य जाति की 2052 महिला एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के पुरुष वर्ग के 36 अभ्यर्थियों को आरक्षी पद पर चयनित किया गया।

2– इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मुख्यालय के समांक पत्र दिनॉकः 25.11.2019 एवं अनुस्मारक पत्र दिनॉकः 26.11.2019 द्वारा उक्त अभ्यर्थियों को जे0टी0सी0 हेतु जनपद आवंटित किये गये जो उ0प्र0 पुलिस की बेवसाइट Kamik (Order/Circulars) Circulars Regarding Establisment matters of Non Go by DG HQ प्रर्दशित (up-lod) किया गया है।

3– आरक्षी एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती–2013 में चयनित अभ्यर्थियों में से चरित्र सत्यापन में उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों के जे0टी0सी0 में आगमन के उपरान्त उनके व्यवस्थित, अनुशासित एवं स्वस्थ्य अवस्थान के सम्बन्ध में पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा निम्नलिखित विन्दुओं पर विशेष ध्यान दिये जाने हेतु निर्देशित किया गया हैः–

(1) रिक्रूट आरक्षियों के आगमन करने के पश्चात उन्हें प्रारिम्भक प्रशिक्षण दिया जायेगा।

(2) रिक्रूट आरक्षियों के आगमन करने के पूर्व में ही प्रशिक्षण केन्द्र में एक स्वागत कक्ष की स्थापना की जायेगी, जिसमें सुयोग्य पुलिस कर्मी की नियुक्ति की जायेगी, जो रिक्रूट आरक्षियों के आगमन करने पर उनको उचित मार्ग–दर्शन करायेगा।

(3) आगमन के पश्चात् रिक्रूट आरक्षियों के नामिनल रोल फार्म भरवाये जायेगें, जिस पर नवीनतम फोटो को भी लगवाया जायेगा एंव सत्यापन से सम्बन्धित आधार कार्ड / अन्य आई.डी भी प्राप्त कर लिया जाये।

(4) आगमन के समय ही भोजन व्यवस्था हेतु प्रत्येक रिक्रूट से पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा निर्धारित मेस एडवांस जमा कराया जायेगा। तथा गहन प्रशिक्षण में भेजे जाते समय भोजन व्यय काटकर शेष धनराशि उसे वापस कर दी जायेगी। समस्त रिक्रूट आरक्षियों को पुलिस भवन के अन्दर उनके लिए निर्धारित भोजनालय में ही भोजन करना अनिवार्य होगा।

(5) समस्त रिक्रूट आरक्षियों के आगमन के अगले दिन रिक्रूटों की 01 जीरो परेड करायी जायेगी, जिसमें उन्हें पुलिस लाइन का पूर्ण भ्रमण कराया जायेगा तथा जनपद के मुख्यालय में नियुक्त समस्त पुलिस तथा अन्य विभागों के बारे में जानकारी कराई जायेगी।

(6) जनपदीय पुलिस अधीक्षक रिक्रूटों को वर्दी की वस्तुएं उपलब्ध करायेगें, जिनकी आपूर्ति पुलिस मुख्यालय द्वारा की जाती है। उसके अतिरिक्त जो वर्दी / सामग्री जनपद स्तर से क्रय करके उपलब्ध कराई जाती है वह भी उपलब्ध करा दी जायेगी। वर्दी के साथ ही सभी रिक्रूट के किट कार्ड बनवा दिये जाये।

(7) जनपद पुलिस अधीक्षक सभी रिक्रूटों की चरित्र पंजिका भी तैयार करायेगें।

(8) प्रारम्भिक प्रशिक्षण की अवधि रिक्रूटों को विशेष रूप से वर्दी का रख–रखाव तथा उसको पहनना, वर्दी तथा सादे कपड़े में अधिकारियों का अभिवादन करना सावधान एंव विश्राम बनाना पुलिस अधिकरियों के रैंक एवं अलंकरणों का ज्ञान परेड ग्राउण्ड गणना स्थल, भोजनालय एवं बैरक आवास के अनुशासन का विधिवत ज्ञान कराया जायेगा।

f/c website
28/11
ADG-
SP-
Adll. SP-
DSP-

(9) जिला पुलिस प्रभारी जे0टी0सी0 प्रगति पत्र एवं राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित फोटो युक्त परिचय–पत्र तैयार कराकर रिकूट आरक्षियों के साथ ही सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थाओं को सीधे भेजेगें। परिचय–पत्र संस्था द्वारा रिकूट आरक्षियों को वितरित किये जायेगें।

(10) पुलिस अधीक्षक प्रति सप्ताह कम से कम 01 बार इन रिकूट आरक्षियों से साक्षात्कार करेगें।

(11) जे0टी0सी0 के मध्य प्रत्येक रिकूट आरक्षी (पुरूष/महिला) की निर्धारित वर्दी तैयार करायेंगे।

(12) परिचय पत्र बनवाना, बैंक खाता, पी0एन0ओ0 आंवटन कराना, नेम प्लेट बनवाने का कार्य पुलिस अधीक्षक द्वारा आर0टी0सी0 में भेजने से पूर्व कराया जायेगा।

(13) एन0पी0एस0(न्यू पेंशन स्कीम) से सम्बन्धित प्रशिक्षुओं के समस्त सेवा अभिलेख आर0टी0सी0 में भेजने से पूर्व तैयार कराना।

(14) रिकूट आरक्षियों का प्रान नम्बर (PRAN NUMBER) आंवटन आदि की कार्यवाही पूर्ण कराना।

(15) जिन रिकूट आरक्षियों(पुरूष/महिला) के पास आधार कार्ड/पैन कार्ड नहीं है, उन अभ्यर्थियों के आधार कार्ड/पैन कार्ड प्राथमिकता के आधार पर बनवा लिया जाय।

(16) चयनित रिकूट आरक्षी (पुरूष/महिला) यदि कम्प्यूटर/चार पहिया वाहन चलाने की जानकारी रखता हो तो उससे कम्प्यूटर संस्था द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र एवं वैध ड्राईविंग लाइसेन्स की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर उनके सेवा अभिलेखों के साथ रखते हुए सेवा अभिलेखों में उसका अंकन भी किया जाय।

(17) चयनित रिकूट आरक्षी (पुरूष/महिला) के नियुक्ति पत्र निर्गत किये जाने से पूर्व अग्रसारित की जाने वाली आख्या को कार्यालय/जनपदीय नोडल अधिकारी प्रमाणित करेगें।

(18) गृह जनपद के प्रभारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि अभ्यर्थियों की चरित्र–सत्यापन आदि से सम्बन्धित पत्रावली/रिकूट आरक्षी को सक्षम अधिकारी के नेतृत्व में जे0टी0सी0 जनपद को समय से भिजवाया जाय।

(19) चयनित रिकूट आरक्षी (पुरूष/महिला) के लिए मेस, बैरक, स्वच्छ शौचालय आदि की समुचित व्यवस्था प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करायी जाय।

(20) आरक्षी एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती–2013 के अन्तर्गत सामान्य जाति की 2052 महिला एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के पुरूष वर्ग के 36 अभ्यर्थियों का आधारभूत प्रशिक्षण दिनांक 21.12.2019 से कराया जाना प्रस्तावित है।

4– निदेशानुसार अनुरोध है कि उपरोक्त विन्दुओं के सम्बन्ध में अनुपालन करके, आवश्यक कार्यवाही यथा समय कराने का कष्ट करें।

27/11/19

(तेज स्वरूप सिंह)
पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि–अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवायें मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया उक्त पत्र को uppolice.gov.in के मुख्य पृष्ठ पर प्रर्दर्शित (up lod) करने का कष्ट करें, ताकि सर्व सम्बन्धित को इसकी आसानी से सूचना प्राप्त हो सके।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को कृपया सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय लखनऊ।
2– समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि–समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है, कि कृपया समय–समय पर अपने अधीनस्थ जनपदों में चल रही जे0टी0सी0 का पर्यवेक्षण करते हुए निदेशानुसार अग्रिम आवश्यक कार्यवाही कराकर अवगत कराने का कष्ट करें।